दिनांक:-29.06.2022 को प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा/मुख्यमंत्री महिला/मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत आहूत चयन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :— सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना।
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना।
उप सचिव, उद्योग विभाग (योजना), बिहार, पटना।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पटना।
अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना।
निदेशक,एल0एन0 मिश्रा इन्स्टीच्यूट, पटना के प्रतिनिधि (विशेष आमंत्रित सदस्य)।
निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रतिनिधि।
दलित इण्डियन चैम्बर्स ऑफ एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना के प्रतिनिधि।
कन्फेडेरेशन ऑफ इण्डियन इंडस्ट्री, पटना के प्रतिनिधि।
महिला विकास निगम, पटना के प्रतिनिधि।
बिहार महिला उद्योग संघ, पटना के प्रतिनिधि।
लघु उद्योग भारती, पटना के प्रतिनिधि।

सर्वप्रथम प्रधान सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा/मुख्यमंत्री महिला/मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की गयी है जिसमें लाभार्थियों द्वारा स्थापित की गयी इकाईयों का निरीक्षण तथा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दिये गये प्रतिवेदन भी शामिल है। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य सामने आया है कि पूर्व में स्वीकृत 102 ट्रेड में से बहुत से ट्रेड ऐसे हैं जिनमें लाभार्थियों को मार्केट नहीं मिलता है तथा परियोजनाएँ सफल नहीं हो पाती है। इसी प्रकार कुछ ट्रेड में लाभार्थियों द्वारा 10.00 लाख तक की राशि ले ली जाती है परन्तु उसमें से व्यय कम राशि ही किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्यूटी पॉर्लर की स्थापना में 10.00 लाख तक का व्यय कठिन होता है तथा यदि यह वास्तविक रूप में भी किया जाता है तो तद्नुसार लाभार्थियों को रिटर्न नहीं मिलता है।

कुछ क्षेत्रों में एक ही ट्रेड में बहुत से लाभार्थियों द्वारा इकाईयाँ स्थापित करने के कारण मार्केट कम्पीटिशन अत्यधिक हो जाता है तथा लाभार्थी अपना सामान नहीं बेच पाते हैं अथवा उन्हें उचित दर नहीं मिलता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा लायी गयी नई नीतियाँ यथा टेक्सटाईल एवं लेदर प्रोत्साहन नीति आदि के अनुसार राज्य में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया

जाना है ताकि इस योजना के माध्यम से अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकें। इन सब तथ्यों को देखते हुए तथा क्षेत्रीय स्तर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर निम्नलिखित प्रस्ताव है:-

1. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा/महिला/युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत स्वीकृत ट्रेड की संख्या-48 की जाय। यह वे ट्रेड हैं जिन्हें अधिक रोजगार प्राप्त होगा तथा मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा (ट्रेड की सूची संलग्न Annexure-I)।
2. सभी ट्रेड के लिए न्यूनतम 6.00 से 7.00 लाख रुपये प्लांट एवं मशीनरी के लिए रखा जाए तथा शेष राशि कार्यशील पूँजी शेड के लिए रखी जाय। शेड का निर्माण आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।
3. सभी ट्रेड के लिए मॉडल डी0पी0आर0 बनाया जाय जिसमें मशीनरी का प्रकार आदि भी दिया जाय (मॉडल डी0पी0आर0 संलग्न Annexure-II)।
4. 48 परियोजनाओं हेतु परियोजना परिवर्तन के विकल्प की सुविधा पोर्टल के माध्यम से ही लाभुकों को उपलब्ध कराया जाय।
5. वैसे लाभुक जिनको पूर्व में प्रथम किश्त निर्गत हो चुका है, वे पूर्व की प्रक्रिया से ही आच्छादित होंगें।

निर्णय :- समिति द्वारा कंडिका-1, 2, 3, 4 एवं 5 पर सहमति प्रदान की गई।

अन्यान्य बिन्दु:- जीविका के द्वारा भी विभिन्न प्रक्षेत्रों यथा- वस्त्र एवं चर्म उद्योग एवं फूड प्रोसेसिंग इत्यादि के क्षेत्र में जीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है इसके बावजूद भी उनके द्वारा तैयार किये गये उत्पाद को वास्तविक रूप से फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिकेंज की सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। यदि उन्हें बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में **प्लग एवं प्ले** की सुविधा प्रदान की जाती है तो न केवल इन्हें अपने बनाये गये उत्पाद हेतु अच्छा बाजार मिलेगा अपितु तकनीकी दृष्टिकोण से ये अपने कारोबार को चलाने में ज्यादा सक्षम होंगे। इसी आधार पर निम्नलिखित प्रस्ताव है:-

(i) Textile एवं Leather Policy के आलोक में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के विभिन्न घटकों में वर्ष 2022-23 में नये लाभार्थियों के चयन में जीविका के माध्यम से 500 लाभार्थियों का चयन तथा जीविका के लाभुकों के ई0डी0पी0 (EDP)/प्रशिक्षण की व्यवस्था जीविका के माध्यम से कराने तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राशि आवंटन का प्रस्ताव।

(ii) चूंकि जीविका के लाभार्थियों द्वारा Cluster के माध्यम से कार्य किया जाएगा। यह आवश्यकता महसूस की गयी कि कंडिका-1 में वर्णित 48 परियोजनाओं के मॉडल डी0पी0आर0 में Cluster के माध्यम से कार्य करने वाले उद्यमियों के लिए Cluster की आवश्यकता के अनुसार मॉडल डी0पी0आर0 में बदलाव का प्रावधान उक्त प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय में रखा जाए। यह व्यवस्था कलस्टर में कार्य करने वाले किसी भी उद्यमी के लिए प्रभावी होगा।

(iii) चयन समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि चूंकि 48 परियोजनाओं के लिए मॉडल डी0पी0आर0 तैयार हैं, जिसमें प्लान्ट एवं मशीनरी की विवरणी उपलब्ध है। उद्यमियों को सिर्फ कार्यशील पूँजी, कच्चा माल, शेड आदि के लिए अपना डी0पी0आर0 तैयार करने की आवश्यकता

है। इसके आलोक में यह उपयोगी होगा कि मॉडल डी0पी0आर0 के आधार पर प्रथम किस्त का भुगतान उद्यमियों को किया जाय, ताकि उद्यमियों को भुगतान की प्रक्रिया में विलंब न हो तथा Simultaneously संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उद्यमियों के कच्चा माल, शेड, कार्यशील पूँजी आदि हेतु डी0पी0आर0 तैयार करवाया जाय। संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को इस कार्य हेतु अधिकतम अगले 15 दिनों का समय दिया जा सकता है।

उपरोक्त (i), (ii) एवं (iii) प्रस्ताव पर समिति का निर्णय प्रार्थित है।

निर्णय :- समिति द्वारा कंडिका-(i), (ii) एवं (iii) पर सहमति प्रदान की गई।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1581 / पटना, दिनांक- 04/07/2022.
स0सं0-04तक0/चयन समिति बैठक/40/2020 (खण्ड)
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.07.22
निदेशक,
तकनीकी विकास, उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।